सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 4, बुधवार, शाके 1941-अप्रेल 24, 2019

Vaisakha 4, wednesday, Saka 1941- April 24, 2019

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 24, 2019

जी.एस.आर.1 :–यतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को संशोधित करने के लिए, राजस्थान मोटर यान (द्वितीय प्रारूप संशोधन) नियम, 2018 का प्रारूप, उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना की राजस्थान राजपत्र में यथा–प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जायें, दस दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) की यथा अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक, भाग 3 (ख) में दिनांक 18.10.2018 और दिनांक 20.11.2018 को प्रकाशित किया गया था;

और यतः, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 06.11.2018 और 22.11.2018 को उपलब्ध करा दी गयी थी।

और यतः, उक्त प्रारूप–नियमों पर कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अतः अब, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नये नियम 10.2क का अन्तःस्थापन.– राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के विद्यमान नियम 10.2 के पश्चात् और विद्यमान नियम 10.3 से पूर्व निम्नलिखित नया नियम 10.2क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

10.2क. दुर्घटना में अंतर्वलित मोटर यान की निर्मुक्ति का प्रतिषेध.– (1) कोई भी न्यायालय किसी दुर्घटना, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या शारीरिक क्षति या संपत्ति को नुकसान हुआ है, में अंतर्वलित किसी मोटर यान को, जब ऐसा यान रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नाम से ली गयी पर–व्यक्ति जोखिम बीमा की पॉलिसी के अन्तर्गत नहीं आता है या जब अन्वेषक पुलिस अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर भी रजिस्ट्रीकृत स्वामी ऐसी बीमा पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहता है, निर्मुक्त नहीं करेगा, जब तक कि रजिस्ट्रीकृत स्वामी ऐसे प्रतिकर,

Scanned by CamScanner

जो ऐसी दुर्घटना से उद्‌भूत दावे के मामले में दिया जाये, का संदाय करने के लिए न्यायालय के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति न दे दे।

(2) जहां मोटर यान पर–व्यक्ति जोखिम बीमा की पॉलिसी के अन्तर्गत नहीं आता है, या जब मोटर यान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी उप–नियम (1) में वर्णित परिस्थितियों में ऐसी पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहां अन्वेषक पुलिस अधिकारी द्वारा यान के कब्जे में लिये जाने से तीन मास के अवसान पर वह यान, उस क्षेत्र, जहां दुर्घटना हुई हो, पर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा लोक नीलाम में विक्रीत किया जायेगा और उसके आगम, प्रतिकर, जो ऐसी दुर्घटना से उद्‌भूत होने वाले दावे के मामले में दिया गया हो, या दिया जाये, की पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए पन्द्रह दिवस के भीतर–भीतर, प्रश्नगत क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले दावा अधिकरण में निक्षिप्त किये जायेंगे।

[प.7(3)परि/नियम/मु./2010]
राज्यपाल के आदेश से,
महेन्द्र कुमार खींची,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

Scanned by CamScanner